LOK SABHA

Wednesday April 25, 1973/Vaisakha 5, 1895 (Saka)

The *Lok Sabha* met *at Eleven of* the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Problems of Urdu Press

*841 SHRI C K CHANDRAPPAN. Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news report appearing in the National Herald dated the 14th March 1973 under the heading Problems of Urdu Press, and

(b) if so Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) (a) Yes Sir

(b) A statement is laid on the Table of the House

The news report in the "National Herald" presented the various opinions expressed during the All India Urdu Editors' Conference held in Delhi The following suggestions for action arise from this report —

1 introduction of training in calligraphy in the Industrial Training Institutes and the grant of financial aid for improvement of printing techniques

2 more newsprint should be given to Urdu Newspapers since the present quota is negligible compared to the requirements

3 the future of Urdu journalism is tied up with the future of the Urdu language and to improve Urdu journalism, Urdu should be declared as one of official languages in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Delhi and other Urdu speaking areas

The opinions and suggestions put forward at the Conference have been noted by the Government.

The Government is eager to take all measures needed for the promotion of Urdu in the country and a high level committee is examining the question comprehensively, including the measures required for the promotion of Urdu journalism

SHRI C K CHANDRAPPAN: In the statement the Minister has told about some of the things which have appeared in the press reports, some of these things have been referred to already but I would like to draw the attention of the Minister to that part of the press report where it is said that the Editor of the Urdu Daily Sangam has said that 85 per cent of the charges against newspapers under Section 153A of the IPC are against Urdu journals and dailies of which 90 per cent were found to be quite innocent and they were acquitted This being the position is it not something amounting to persecution of Urdu journals and Urdu newspapers? What steps Government have taken to stop this sort of persecution of the Urdu newspapers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I K GUJRAL) When the Conference was held here a deputation of the Conference called on Prime Minister and met me also and they raised certain points For one thing, prosecution is launched by the State Government and not by the Central Government This

point is being looked into because we do feel that the complamt was not wholly unfounded

SHRI C K CHANDRAPPAN In the statement it is said that a high-power committee is going into the matter The Minister said in Bhopal that the report will come by end of June Will this statement come by that time? Secondly before the report comes why cannot the government take some decision sympathetically considering the problem of newsprint quota and other technical problems which are raised in the said report

SHRI I K GUJRAL So far as taking action sympathetically is concerned I have assured the delegation about it and I can repeat it here Government is sympathetically inclined and wants to take a sympathetic attitude towards Urdu Press That is why we have been changing our entire policy in so far as newsprint is concerned, allocation of advertisements is concerned and also giving support for import of machinery for printing We have been taking a very positive attitude and I am certain the Urdu press is already feeling that the Government of India's attitude is very much in their favour and that we are trying to help them

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इन अखबारों के खिलाफ प्रदेश सरकारें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर प्रासीक्यूशन लाँच कर रही हैं या प्रदेश सरकारें उन अखबारों को खुद देख कर अपने इन्फरमेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रासीक्यूशन लांच कर रही हैं ? क्या मंत्री महोदय निकट भविष्य में इन्फरमेशन मिनिस्टरों की कान्फ्रैंस बुला कर इस सम्बन्ध में उन्हें कोई गाइड लाइन्ज देंगे ।

श्री आई० के० गुजराल : कुछ मामले हमारे नोटिस में आये हैं जहां आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने मुकदमे किये हैं कई जगह इन्फरमेशन डिपार्टमेंट ने कैसेज को देखा है और कई जगह नहीं देखा है । हम लोग यह इस्तदुआ करने जा रहे हैं कि आम तौर पर कोई केस करना चाहें तो हम लोगों से भी सलाह कर लें तो इस से फायदा होगा ।

श्री एस० ए० शमीम : क्या आनरेबिल मिनिस्टर को इस बात का इल्म है कि बहुत से ऐसे उर्दू अखबारों के खिलाफ सैक्शन 153 (ए) के तेहत मुकदमात चलाये गये हैं जब कि उन्होंने अपने अखबारों में अंग्रेजी और उर्दू अखबारों में शाया-शुदा मजामीन के तर्जुमे छापे हैं और धर्म की बिना पर प्रासीक्यूशन हुआ है जब कि उन अखबारों के खिलाफ जिन में वे मजामीन औरिजनली शाया हुए थे कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

क्या आनरेबिल मिनिस्टर को इल्म है कि जनाब खुश्तर-गरामी एडिटर बीसवी सदी के खिलाफ दफा 153 (ए) के तहत मुकदमा दायर हुआ था इस लिए कि खुश्तर गरामी मुसलमान हैं और उन के खिलाफ इस इल्जाम में मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने आर० एस० एस० के खिलाफ एक मजमून इदारती नोट लिया । जब मालूम हुआ कि खुश्तर गरामी रामरखा मल हैं तो अब उस प्रासीक्यूशन को वापस लेने की तैयारी हो रही है ।

श्री आई० के० गुजराल कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जहां तर्जुमे की बिना पर मुकदमे चलाये गये हैं ऐसे दो एक वाकयात हमारे नोटिस में भी आये हैं और जिन की तरफ स्टेट गवर्नमैंटस की तवज्जह दिलाई गई है । जहां तक बीसवी सदी के मुकदमे का ताल्लुक है जब कुछ ऐसी बात नजर आई कि यह मुकदमा नहीं चलना चाहिए था — जाहिर है कि हम लोग खुद फैसला नहीं कर सकते कि मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए—

जब तक यह बात हमारे इल्म मे आई तब तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस को देखा और खुद मुकदमा वापस ले लिया ।

श्री शशि भूषण मैं जानना चाहता हू कि उर्दू अखबार राष्ट्रीय धारा के साथ कदम से कदम मिला कर चलें, इस सिलसिले मे आप क्या कदम उठा रहे हैं ? उन को आपका विभाग कितने परसेन्ट एडवर्टिजमेंट देते है तथा जो झूठे केस पत्रकारो के खिलाफ चलाये जाते है, उन मे क्या गाइड लाइन आप देते है, । उर्दू अखबारो के अलावा जो कम्यूनल हिन्दी अखबार है, क्या उन के खिलाफ भी उसी तरह से केस चलते हैं या नही चलते, इस सम्बन्ध मे क्या आपने कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या उर्दु का ननलब मुसलमान है ?

श्री आई० क० गुजराल एक बात समझ ली जाये जब हम उर्दू अखबारो की बात करते है ना उर्दु के अखबार सिर्फ एक कौम तक महदूद नही है । जितनी एडवर्टिजमेंट सपोर्ट हमारे यहा उर्दू अखबारात को मिलनी चाहिये उतनी नही मिलती है । इसलिए हम पालिसी को बदल रहे है ताकि और ज्यादा एडवर्टीजमेन्टस मिले । कम्यनल की जहातक बात है किसी जबान मे हो, अगर कम्यूनल अखबार है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले पार्लमेंट मे सवाल पूछने हुए यह तजवीज रखी गई थी कि आखिर इस ऐवान मे उर्दू जबान मे जो बातचीत करे या तकरीर करे वह कम स कम उर्दू मे लिखी जाये और आपने उस माग की तजुमानी की थी । इस ऐवान मै ऐसा हुआ भी है, जब मौलाना आजाद जिन्दा थे तो उनके वक्त की सारी प्रेसीडिंग्ज उर्दु जबान मे हैं । तारिक साहब यह बात करते थे कि आप पढ सकें या नही लेकिन उर्ददा उसको पढ़ेगे । तो मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हू इस बात को सरकार के सामने रखेंगे क्योकि इस ऐवान मे तमाम लोग है, हर जबान के बोलने वाले है इसलिए जो प्रोसीडिंग्ज हो वह उर्दु जबान मे भी होनी चाहिए ! (व्यवधान) उर्दु जबान के जो अखबार है वह प्रोसीडिंग्ज को दे नही सकते हैं क्योकि प्रोसीडिंग्ज या तो अग्रेजी मे है या हिन्दी मे हैं ।

अध्यक्ष महोदय ऐवान का मासना तो मेरा है ।

SHRI S A SHAMIM This is within your competence that all the speeches made in any language

उर्दु के मामले मे उर्दु मे ही लिखा जाये । मुझे आठ दिन के बाद स्पीच की कापी मिलनी है ।

By which time I have forgotten whatever I had said

अध्यक्ष महोदय आप आठ दिन कही बाहर चले जाते हागे ।

श्री एस० एम० बनर्जी अखबार वाले खरीदना चाहते है लेकिन वे किस चीज को खरीदे क्योकि प्रोसीडिंग्ज उर्दु जबान मे नही है । मै आपसे कोई अनहोनी चीज नही कह रहा हू बल्कि जो कुछ इस ऐवान मे हो चुका है उसी के बारे मे कह रहा हू । आप इसका इन्तजाम कीजिए ताकि उर्दु अखबार वाले भी उसको अपने अखबारो मे शाया कर सके बिना अग्रेजी या हिन्दी का तर्जमा किए हुए और फिर गलतफहमी की कोई गुजाइश भी न रहे । कोई उर्दु की तकरीर अगर हिन्दी मे लिखी गई तो फिर वे क्या करेगे ? उर्दु जबान मे ही उसको लिखा जाये ताकि उनको उसका तर्जुमा न करना पडे ।

अध्यक्ष महोदय अगर यह उर्दु जबान तक ही महदूद रह सकती हो तो ठीक है लेकिन

यह बात तो आगे चली जाती है । यह बात फिर बहुत आगे बढ़ जायेगी ।

श्री मधु लिमये क्या इस बात की जानकारी मंत्री जी सदन को देंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा जितने विज्ञापन समाचार पत्रों को दिए जाते है उसका कितना अंश अंग्रेजी अखबारों को आप देते है और कितना उर्दू को देते है तथा दूसरी देश की लोग भाषाओं को देते है ? साथ साथ यह भी बताएं कि इस वक्त कितने उर्दू समाचार-पत्रों के एडिटर और पत्रकारों के ऊपर मुकदमे चल रहे है, किन धाराओं में चल रहे है और कितने पत्रकार जेल में है ?

SHRI I K GUJRAL: As regards the information regarding the percentage for the various languages, I would need notice But I can say one thing straightway, namely, that the percentage of advertisements being given to the Urdu papers needs considerable improvement, which we are going to do.

श्री मधु लिमये यह सब समाप्त होने से पहले आप यह जानकारी दे दीजिए ।

श्री आई० के० गुजराल आपने पूछा है कितनी पर्सन्टेज अंग्रेजी की है और कितनी हिन्दी की है ।

जहां तक ताल्लुक है प्रोसीक्यूशन्स का, उसका कुल डाटा हमारे पास नहीं है, उसका मुकम्मिल डाटा होम मिनिस्ट्री में रहता है लेकिन हम पूछेंगे इसके मुताल्लिक कि क्या पोजीशन है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी · मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मुकदमे चल रहे हैं एडिटर्स के खिलाफ, क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश देगी कि वह मुकदमे वापिस ले लिए जाए ?

SHRI I. K. GUJRAL· The question of our giving a direction in this connection does not arise. I think State Governments are also conscious of their responsibility

श्री अटल बिहारी वाजपेयी · जब कानून में धारा 153ए शामिल की गई थी तब आशंका प्रकट की गई थी कि इस धारा का दुरुपयोग किया जायेगा, अखबारों की आजादी पर इस धारा से हमला होगा और मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उन्होंने मान लिया है कि कुछ मामलों में इस धारा का दुरुपयोग हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार धारा 153ए को रद्द करने के बारे में विचार कर रही है ?

SHRI I K GUJRAL My hon. friend is over-generalising the whole issue There are cases, a very limited number of cases in which attention of the State Governments was drawn, that there has been some miscarriage of judgment of issues That is one or two cases But to make a broad sweeping statement that 153A has not been used properly would be saying too much

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Arising out of suggestion No 3 that Urdu should be made one of the official languages in UP, Madhya Pradesh, Bihar and Delhi, what positive steps do Government want to take at the earliest so that the matter may be settled?

SHRI I. K. GUJRAL: Suggestion No. 3, as my hon friend would see, is not a statement on behalf of Government. It was one of the suggestion made by the conference itself that Urdu should be made the second official language in these States This is one of the issues being examined by the Urdu Committee.